

आपराधिक जनजात अधिनियम- एक दुर्भाग्यपूर्ण वरिसत

पृष्ठभूमि

- 1932 में एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लेफ्टनैंट जनरल सर जॉर्ज मैकमुन ने अपनी कृति 'द अंडरवर्ल्ड ऑफ इंडिया' में लिखा- "वे एकदम मैले-कुचैले, समाज की गन्दगी और कसिी खेत में घास चर रहे पशुओं के समान हैं"। दरअसल, मैकमुन अपनी कृति में जनि लोगों को संबोधित कर रहा था, ये वो लोग थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात 'आपराधिक जनजात अधिनियम, 1871' के ज़रिये 'आपराधिक जनजात' घोषित कर दिया था।
- 1871 में बने इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किये गए और धीरे-धीरे लगभग 150 से भी अधिक जनजातियों को इसके तहत अपराधी घोषित कर दिया गया। पुलिस में भरती होने वाले जवानों को यह सखियाया जाने लगा किये जनजातियों पारंपरिक रूप से आपराधिक प्रकृति की रही हैं।
- इसका नतीजा यह हुआ कि इन जनजातियों के लोग देश में जहाँ कहीं भी रह रहे थे, उन्हें अपराधियों के तौर पर देखा जाने लगा और पुलिस को उनका शोषण करने की अपार शक्तियाँ दे दी गईं।
- साथ ही, देश भर में लगभग 50 ऐसी बस्तियाँ भी बनाई गईं जिनमें इन जनजातियों के परिवारों को बलिकुल जेल की तरह से कैद कर दिया गया। इन बस्तियों की चारदीवारी के बाहर पुलिस का पहरा रहने लगा और बस्ती के हर सदस्य को बाहर जाने और वापस लौटने पर पुलिस को सूचित करना पड़ता था।
- वस्तुतः इस अधिनियम के ज़रिये पुलिस को इन जनजातियों को गरिफ्तार करने, इनका शोषण करने और इनकी हत्या तक करने की असीम शक्तियाँ दे दी गई थीं। इस से ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि कसिी बच्चे को जन्म से ही अपराधी मान लिया जाए क्योंकि सरकार का कोई बेहूदा कानून उसके परिवार को पहले से ही अपराधी मानता है।
- हालाँकि, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त इस विषय पर कई आयोगों एवं समितियों की स्थापना की गई, लेकिन इस सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है अयंगर समिति, जिसकी सिफारिशों के पश्चात 1952 में 'आपराधिक जनजात अधिनियम' को नरिस्त कर दिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की समस्याएँ

- 1952 के बाद इन जनजातियों को अपराधी मानने वाला कानून तो बदल गया लेकिन समाज और व्यवस्था का नज़रिया आज भी इनके प्रति वैसा ही बना हुआ है। विशेष तौर पर बावरिया, भांतु, कंजर, सांसी, छारा और पारधी तो इनमें से ऐसी जनजातियाँ जिन्हें आज भी इस 'आपराधिक' छाप की सबसे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है।
- लगभग 180 सालों तक देश की व्यवस्था ने इन जनजातियों को कानूनी तौर पर जन्मजात अपराधी माना है। इसके चलते धीरे-धीरे समाज में भी इन जनजातियों की पहचान अपराधियों के रूप में ही स्थापित होती चली गई।
- समाज में इनहें आज भी कई तरह के भेदभाव झेलने पड़ रहे हैं, कई बार तो इन जनजातियों की पूरी की पूरी बस्तियाँ इसलिये जला दी गईं क्योंकि कोई भी इन जनजातियों को अपने गाँव या कस्बे के नज़दीक नहीं बसाना चाहता था।
- वदिति हो कि 2007 में बिहार के वैशाली ज़िले में नट जनजात के दस लोगों को भीड़ ने चोर होने के आरोप में पीट-पीट कर मार डाला था, इसी तरह सितंबर 2007 में मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के चौथिया गाँव में पारधियों के 350 परिवारों के घर जलाकर राख कर दिये गए थे।

क्या हो आगे का रास्ता?

- साल 2005 में तत्कालीन सरकार ने 'वसिक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों' के लिये एक राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-nomadic Tribes - NCDNT) का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष बालकृष्ण रेनके थे, 2008 में रेनके आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इन जनजातियों के इतिहास से लेकर वर्तमान समय में इनकी चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।
- रेनके आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दुर्भाग्य से 'आपराधिक जनजात अधिनियम' के समाप्त होने के बाद भी इन जनजातियों को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। अंगरेज़ों द्वारा चलाई गई इस कुरीति के चलते आज भी समाज और पुलिस इन लोगों को शक और घृणा की ही नज़र से देखती है।
- रिपोर्ट में यह भी ज़िक्र है कि वसिक्त जनजात के लोगों के मामले में न्याय के मूलभूत नियमों तक का उल्लंघन किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'यह स्थापित सिद्धांत है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता उसे नरिदोष माना जाता है, साथ ही कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। लेकिन इन जनजातियों के मामलों में समाज और पुलिस, दोनों का नज़रिया ठीक उल्टा होता है।
- इस रिपोर्ट में अभ्यासिक अपराधी अधिनियम (Habitual offenders act) की भी बात की गई थी जो कि उचित भी था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अयंगर समिति ने भी 'आपराधिक जनजात अधिनियम' 1871 को नरिस्त करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि अभ्यासिक अपराधी अधिनियम के दायरे में केवल कुछ चुनिन्दा जनजातियाँ ही नहीं, बल्कि सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाना चाहिये। जहाँ रेनके आयोग की रिपोर्ट को 8 साल हो चुके हैं, वहीं अयंगर समिति की रिपोर्ट के 64 साल बाद भी न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों का इस ओर ध्यान गया है। अतः सरकारों को चाहिये कि दोनों समितियों द्वारा सुझाई गई कुछ महत्त्वपूर्ण बातों पर गौर करें और उन्हें अमल में लाएँ।

- 'वर्गिकृत, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों' के लिये राष्‍ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि 'आज़ादी के बाद तत्कालीन आदविसयियों को अनुसूचति जनजातों के रूप में वर्गीकृत कयिा गया, वहीं अछूतों और दलतियों को अनुसूचति जातों के रूप में वर्गीकृत कयिा गया, और उसी आधार पर उन्हें वभिन्नि सुवधिएँ प्रदान करके मुखयधारा में शामिल करने के प्रयास भी कयिे गए हैं। लेकनि आपराधकि जनजात अधनियिम' से प्रभावति जनजातियों की कोई खबर नहीं ली गई। अपवादस्वरूप अगर कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य कसिी भी राज्य सरकार ने इन्हें कसिी भी सूची में शामिल नहीं कयिा, जो बहुत ही चतिाजनक है। इस संबंध में केंद्र सरकार को इनकी गणना के लयिे समुचति प्रयास करते हुए इन्हें भी अनुसूचति जनजातियों की सूची में शामिल करने के प्रयास कयिे जाने चाहयिें।

नषिकरष

- आपराधकि जनजात अधनियिम, 1871 से पीड़ति उन जनजातियों पर इस कानून के खौफ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे प्रभावति जनजातियों 31 अगस्त को स्वतंत्रता दविस का जश्न मनाती हैं कयोंकि 31 अगस्त, 1952 को ही इस अधनियिम को नरिसूत कयिा गया था। हमारा भारत वविधिताओं का देश है और ये जनजातयिाँ हमारी वविधिता में रंग भरती हैं। लेकनि हमारी वयवस्था एवं हमारा समाज इन्हें लेकर पूर्वाग्रह से भरा है। ये जनजातयिाँ भी सम्मानति और गरमिमय जीवन जी सकें, इसके लयिे केंद्र और राज्यों को सामूहकि प्रयास करने होंगे।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/criminal-tribes-act-an-unfortunate-legacy>

